

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मकराना
बड़जलास - श्री राजवीर सिंह चौधरी

वादी -

1. पांचुराम पुत्र रामदीन जाति खाती निवासी बोरावड तह. मकराना

प्रतिवादी -

1. रामाकिशन पुत्र रामदीन
हरिराम के वारिसान -
2. किरण बेवा हरिराम
बंकटलाल के वारिसान -
3. ताराचन्द पुत्र बंकटलाल
4. धन्नाराम पुत्र बंकटलाल
5. पन्नाराम पुत्र बंकटलाल
6. लाडूडी पुत्री बंकटलाल
7. बिरदा पुत्री बंकटलाल
8. तानूडी पुत्री बंकटलाल
9. बाबुल्या पुत्री बंकटलाल
10. पुनम पुत्री बंकटलाल
करणाराम के वारिसान -
11. तेजाराम पुत्र करणाराम
12. गोपालराम पुत्र करणाराम
13. अमरचन्द पुत्र करणाराम
14. भंवरी पुत्री करणाराम
15. बाईसा पुत्री करणाराम
16. सरजू पुत्री करणाराम
17. मूलकी पुत्री करणाराम
18. जसोदा पत्नी स्व. जगदीश पुत्र करणाराम
सभी जाति खाती निवासी बोरावड तह. मकराना
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना

राजस्व वाद सं. - 29/2013

दावा बाबत बंटवारा , रिकार्ड में अमल दरामद एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: डिक्री ::

वाद वादी माफिक वर्तमान में काबिज बंटवारा प्रस्ताव अनुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा बोरावड के खसरा नम्बर 159 रकबा 59.05 बीघा किस्म बा.2 में से वादी पांचुराम को बंटवारा प्रस्ताव में दशार्थ गये बिन्दु संख्या F व G हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री पर्चा का हिस्सा रहेगा। तहसीलदार मकराना को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

इस वाद में खर्चे लेखे..निल. रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ... निल... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहितनिल... के द्वारा ...निल... को दी जावेगी।

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
निल	निल	निल	निल

आज दिनांक 09.09.2016 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।



(राजवीर सिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मकराना